भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1479

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालयों के निर्माण का अध्ययन

1479. श्री रीताब्रता बनर्जीः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में शौचालयों के निर्माण की लागत का राज्य–वार अध्ययन कराया है, और यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने प्रत्येक शहरी घर के लिए राज सहायता की राशि का निर्णय किस तरीके से किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दी जा रही राज सहायता शौचालय की लागत की 40 प्रतिशत से कम राशि को कवर करती है, जिससे अनेक घरों के लिए खर्चे को वहन करना कठिन हो जाता है; और

(घ) सरकार की परियोजना की संपूर्ण लागत को कवर करने के लिए किस ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) शहरी क्षेत्रों में घरेलू शौचालयों का अनुमान, राज्य सरकारों तथा शौचालय निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से परामर्श तथा खुले में शौच की प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता को पूरा करने वाले, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन द्वारा विकसित आधारभूत निम्न शौचालय ढांचे के लागत मॉडलों के अध्ययन के बाद किया गया था।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (एसबीएम)यू)) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रोत्साहन का निर्णय लिया है:

- 4000 रु. प्रति शौचालय इकाई-पूर्वोत्तर राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए
- 10,800 रु. प्रति शौचालय इकाई-सभी पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए

कई मामलों में राज्य और स्थानीय सरकारों का शेयर केंद्रीय सरकार के शेयर के समान अथवा उससे अधिक था।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वे एसबीएम (जी) दिशानिर्देशों के अनुसार शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन की विशिष्ट राशि का योगदान करे। तथापि, राज्य सरकारें सामान्यतया समान शेयर अथवा उच्चतर मात्रा में प्रोत्साहन का योगदान करती हैं। केंद्रीय एवं राज्य प्रोत्साहन की कुल राशि सामान्यतया 40 प्रतिशत से अधिक होती है। शौचालयों के योगदान हेतु शेष राशि का वित्तपोषण लाभार्थी से अंशदान सहित अन्य स्रोतों से किया जा सकता है।